उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642
थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।
(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 35 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना अमराहट में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना अमराहट में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे से 14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

क्रमांशः 2

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।

9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।

13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।

15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।

17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।

18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।

19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 34 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना राजपुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना राजपुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।

9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।

13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।

15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।

17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।

18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।

19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24.निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26.निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27.विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी 6/04/24

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 33 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना बरौर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना बरौर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।

9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।

13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।

15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।

17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।

18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।

19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24.निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26.निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27.विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः—
1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

6/04/2021
इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 32 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना मंगलपुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04. 2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना मंगलपुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।

9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।

13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।

15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।

17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।

18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।

19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24.निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26.निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27.विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 31 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना डेरापुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना डेरापुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 31 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना डेरापुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना डेरापुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।
9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।
17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।
18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।
19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24.निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26.निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27.विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 30 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना शिवली में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना शिवली में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। [illegible]

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।

9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।

13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।

15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।

17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।

18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।

19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः—

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642
थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।
(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 29 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।
9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।
17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।
18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।
19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24.निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26.निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27.विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः—

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

6/04/2023
इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 28 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना देवराहट में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्हन 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना देवराहट में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 /– (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 /– (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 /–का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।
9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।
17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।
18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।
19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24.निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26.निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27.विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

6/04/2021

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांक: 27 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना सट्टी में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना सट्टी में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांक: 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांक: 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई—कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।

9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।

13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।

15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।

17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।

18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।

19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।
9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।
17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।
18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।
19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24.निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26.निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27.विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर—कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स—0512—2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 26 / नि0ई0का0 / (इ—टेण्डर) / 2022—23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक—06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक—17.04. 2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / — (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0— 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा— हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर—कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर—208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / — (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / —का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग—अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।
9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।
17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।
18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।
19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

6/04/2024

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांक: 25 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के महिला थाना में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के महिलाथाना में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांक: 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांक: 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।

9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।

13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।

15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।

17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।

18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।

19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः—

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642
थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।
(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 24 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना रूरा में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना रूरा में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

क्रमशः......2

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।

9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।

13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।

15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।

17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।

18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।

19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।

9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।

13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।

15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।

17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।

18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।

19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24.निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26.निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27.विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642
थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।
(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 23 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर देहात के थाना गजनेर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना गजनेर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।

9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।

13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।

15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।

17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।

18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।

19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः—

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

6/04/2021

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642
थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।
(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 21 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर नगर के थाना अकबरपुर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04.2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना अकबरपुर में महिला हेतु स्थाई वाषरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य	4.13 लाख	400 / – (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400 / – (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472 / –का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।
9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।
17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।
18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।
19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

6/04/2021

इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फेक्स–0512–2988100 / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांकः 22 / नि0ई0का0 / (इ–टेण्डर) / 2022–23 दिनांक 06 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्तक्षारी द्वारा जनपद कानपुर नगर के थाना मूसानगर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम / ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा **दिनांक–06.04.2023** को **समय 10:00 पूर्वान्ह से दिनांक–17.04. 2023 अपराह्न 14:00 बजे** तक **आमंत्रित की जाती है** जो उसी दिन **अपरान्ह्न 16:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद कानपुर देहात के थाना मूसानगर में महिला हेतु स्थाई वाशरूम/ ट्वायलेट का निर्माण काय	4.13 लाख	400/– (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)=रू0 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं0– 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि0 के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर–कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर–208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे** से **14.00 बजे** के मध्य **दिनांकः 17.04.2023** तक रू0 400/– (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) कुल रू0 472/–का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में **दिनांकः 17.04.2023** को **समय 14.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्याकंन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 राष्ट्रीकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नही होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक

की फिक्स डिपाजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपाजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण इकाई–कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू0 एवं 10 रू0 का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।
9. आयकर, जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की अनुमानित मात्राए है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेगें।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित है।
17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।
18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्तां जॉच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।
19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवषेश 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।

25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।

27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः—

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाषित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

Biswal 6/04/24
इकाई प्रभारी